न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2116/2006/धौलपुर

1. श्रीमती अंगूरी देवी बेबा भोलाराम
2. राजरानी 3. मीना देवी 4. नारायन
5. देवेन्द्र कुमार 6. मोहन 7.घनश्याम

पिसरान भोलाराम जाति ब्राहमण निवासीगण गढी टडावली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. सौप्रसाद(नाम तर्क)
2. सूरजभान पुत्र बलवन्त
3. राजेन्द्र 4.बृजभाषी 5. भूरी सिंह
6. लालाराम 7.ऋषिकेश 8.शैलेन्द्र पिसरान सूरजभान समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण गढी टडावली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
9. राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री यज्ञदत शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्रीनिवास बेनीवाल अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 08.02.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 9–3–06 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के न्यायालय में अपीलार्थी के पूर्वज भोलाराम ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत बटवारे का वाद पेश किया। उक्त वाद दिनांक 30-8-02 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया और कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार राजाखेडा को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार राजाखेडा ने अपने पत्रांक 1415 दिनांक 25-9-02से कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये। जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा ने दिनांक 26-12-02 को अन्तिम डिक्री पारित की। जिसके विरूद्ध भोलाराम के वारिसान द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने आदेश दिनांक 5-4-06 के द्वारा अपील को विचारार्थ ग्रहण कर रेकार्ड तलब करने एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित करते हुये नियत दिनांक तक अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री की पालना को स्थगित रखते हुये मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 25-9-02 के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पिटीशन संख्या 17920/2012 पेश की जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णित करते हुये मण्डल के समक्ष अपील को लम्बित मानते हुये मण्डल को एक माह के अन्दर प्रदान का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि

तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये तथा पटवारी हल्का द्वारा ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर लिये जबकि न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करेंगे। विभाजन प्रस्ताव में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी श्रेणी कायम नहीं की गई। कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करते समय वादी को कोई सूचना नहीं दी गई। वादी की पीठ पीछे कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(रेवेन्यू बोर्ड रूल्स 1955) के नियम 18 से 21 की पालना न कर उसके विपरीत जाकर अन्तिम डिक्री पारित की है।इसलिये दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वह पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत हैं। अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जो यह सिद्ध करे कि विभाजन प्रस्ताव मौके व कानून के अनुसार नहीं है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर तथा पक्षकारान की मौजूदगी में बनाये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार तथा पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं। विभाजन प्रस्ताव में अंकित रकबा व लगान की राशि भी पक्षकारान के उनके हिस्से अनुसार प्रस्तावित हैं। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट जो तहसीलदार राजाखेडा द्वारा अपने पत्रांक 1415 दिनांक 25-9-02 से उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा को प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है। जिस पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर हैं। कुर्रेजात रिपोर्ट मौके

पर तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई है। उभय पक्षकारान की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई हो, यह भी स्पष्ट नहीं होता है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर हल्का पटवारी ने यह अंकन भी नही किया है कि किन किन पक्षकारान के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। किन खातेदारों के हस्ताक्षर कराये गये और किन–किन ने मना किया इसका कोई उल्लेख कुर्रेजात रिपोर्ट में नहीं है। विधि अनुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति में या तो स्वयं तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते अथवा भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट तैयार होनी चाहिये। हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई कुर्रेजात रिपोर्ट विधि अनुसार मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना किया जाना नहीं पाया जाता है। इस बाबत अपीलार्थी के पूर्वज भोलाराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष आपतिया भी प्रस्तुत की हैं जिसमें यह अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्ताव कुर्रेजात तैयार करते समय वादी को मौके पर उपस्थित होने की सूचना नहीं दी जो आवश्यक थी। वादी का जो हिस्सा दर्शाया गया है वह भी भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्शायी गई भूमि के मुकाबले निम्न श्रेणी की है। प्रतिवादीगण के हिस्से में जो भूमि दर्शायी गई है वह अच्छी श्रेणी की भूमि है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की इन आपतियों पर गौर किये बिना और बिना पक्षकारान की उपस्थित में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की है। इसलिये दोनां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट

तैयार करावें। कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने के लिये पाबन्द करें और तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(रेवेन्यू बोर्ड रूल्स 1955) के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुये अपनी उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करावें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय में दिनांक 7–3–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य